

दिनांक 03.06.2023

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। अभियोजन की ओर से विद्वान नामिका अधिवक्ता श्री आशीष जदली उपस्थित। अभियुक्त संदीप कुमार अनुपस्थित। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद चमोली द्वारा कागज संख्या 39 ब हाजरी माफी प्रार्थना पत्र पेश किया गया। सुना न्यायहित में केवल आज के लिये स्वीकृत। साक्षी अनुपस्थित। अभियोजन की ओर से कागज संख्या 40ब स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। सुना न्यायहित में केवल आज के लिये स्वीकृत। गवाह को समन जारी हो।

पत्रावली वास्ते शेष साक्षी दिनांक 26.06.2023 को पेश हो।

(मौ० याकूब)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।